

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification No. 10 / 2016

New Delhi, the ^m26 February, 2016.

SO.....(E).- In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1827(E), dated the 6th of July, 2015, namely :-

In the said notification,-

(a) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"6. Public issue.- (i) Seventy per cent. of the aggregate amount of bonds issued by each entity in the TABLE shall be raised through public issue;

(ii) Forty per cent. of public issue under sub-paragraph (i) shall be earmarked for RII's:

Provided that the words "Forty per cent." referred to in sub-paragraph (ii) shall be read as "sixty per cent." for the purposes of the entities at serial numbers 2 (b) and 8 of the TABLE.";

(b) in paragraph 9, in the TABLE, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Entities	Allocated amount of bonds (in crore)
"2.	Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC)	
	(a) TRANCHE I	6000
	(b) TRANCHE II	3500".

[F.No.178/ 1/2016-ITA-I]

Deepshikha

(DEEPSHIKHA SHARMA)

Director to the Government of India

Alme
29/2/16

Deekhe

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1827(E) dated the 6th of July, 2015 and subsequently amended vide notification number S.O. 520 (E), dated the 18th February, 2016..

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (II) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना संख्या /b /2016

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2016

का. आ..... (अ).- आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (15) के उप-उपवाक्य (iv) के मद (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जो का.आ.1827 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(II) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: उक्त अधिसूचना में

क) पैराग्राफ 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“6. सार्वजनिक इश्यू.- (i) सारणी के प्रत्येक निकाय द्वारा जारी किए जाने वाले बन्धपत्रों की सकल राशि का सत्तर प्रतिशत सार्वजनिक इश्यू से अर्जित किया जाएगा;

(ii) उपपैराग्राफ (i) के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक इश्यू का चालीस प्रतिशत आर० आई० आई० के लिए नियत किया जाएगा:

बशर्ते कि उपपैराग्राफ (ii) में उल्लिखित में “चालीस प्रतिशत” शब्दों को, सारणी के क्रम संख्या 2 (ख) और 8 के निकायों के मामले में “साठ प्रतिशत” पढ़ा जाएगा”;

(ख) पैराग्राफ 9 में, सारणी में, क्रम संख्या 2 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रम संख्या	निकाय	बंधपत्र की आबंटित राशि (रु० करोड़ में)
“2.	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी)	
	(क) ट्रांचे I	6000
	(ख) ट्रांचे II	3500”.

(फा० सं० 178/1/2016-आईटीए-1)

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली,

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (II) में का.आ.1827 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2015 के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में इसमें अधिसूचना संख्या का. आ. 520 (अ), दिनांक 18 फरवरी, 2016 के तहत संशोधन किया गया है।